न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 97/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/115

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री कपील कलाल पुत्र श्री पन्नालाल कलाल निवासी 554 वार्ड नं. 11 रामकुण्ड मार्ग, खटवाडा, तलवाडा, बांसवाड (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– कपील किराणा स्टोर, खटवाडा, तलवाडा, बांसवाडा (राज) फोन नं. 7891237437
2. श्री मुकेश पटेल पुत्र श्री भगवती लाल पटेल (विक्रेता/मालिक) निवासी किसनपोल गेट खंदारवाडी, बांसवाडा मैसर्स– **Hakar Traders, Kishanpol Gate Kandharwari Banswara** मो.नं. 9414105596
3. **M/S RHK Lgistics -SG,SP 818 ll 15, Tradevalue solution Pvt. Ltd. Road No-14, VKI Area Jaipur 302013** मो.नं. 7840849494

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 16–04–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **24–10–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **28–10–2023** को 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स कपील किराणा स्टोर, खटवाडा, तलवाडा, बांसवाडा** पर पहुंचा इस समय संस्थान पर **श्री कपील कलाल पुत्र श्री पन्नालाल कलाल** उपस्थित थे। विक्रेता एवं मालिक की उपस्थिति में **मैसर्स कपील किराणा स्टोर, खटवाडा, तलवाडा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली) एक रेक में 500 ग्राम के 6 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त** खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली)** जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज.)

का नही होने का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली) 500 ग्राम के 4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 560/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। **जिस पर** विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली) 500 ग्राम के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1631** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/572 दिनांक 08-12-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1412 दिनांक 10-11-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय शुदा खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1631** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नही की गई है।

फर्म के मालिक **मैसर्स कपील किराणा स्टोर, खटवाडा, तलवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा , विक्रेता ने **Hakar Traders, Kishanpol Gate Kandharwari Banswara** का बिल प्रस्तुत किया। **Hakar Traders, Kishanpol Gate Kandharwari Banswara** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

एवं उक्त खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , विक्रेता ने **M/S RHK Lgistics -SG,SP 818 ll 15, Tradevalue solution Pvt. Ltd. Road No-14, VKI Area Jaipur** का बिल एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 24—10—2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 15—04—2025 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर कम जुर्माना किये जाने व उक्त कार्यवाही को समाप्त करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/572 दिनांक 08—12—2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1412 दिनांक 10—11—2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय शुदा खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1631** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **चाय पत्ती (उत्साह टी वेली)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगणो 1. **श्री कपील कलाल पुत्र श्री पन्नालाल कलाल निवासी 554 वार्ड नं. 11 रामकुण्ड मार्ग, खटवाडा, तलवाडा, बांसवाड (विक्रेता/मालिक) मैसर्स— कपील**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

किराणा स्टोर, खटवाडा, तलवाडा, बांसवाडा (राज) को रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र), 2. श्री मुकेश पटेल पुत्र श्री भगवती लाल पटेल (विक्रेता/मालिक) निवासी किसनपोल गेट खंदारवाडी, बांसवाडा मैसर्स– **Hakar Traders, Kishanpol Gate Kandharwari Banswara** को रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र), **M/S RHK Lgistics -SG,SP 818 ll 15, Tradevalue solution Pvt. Ltd. Road No-14, VKI Area Jaipur** को रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 16–04–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:23 IST
Reason: SelfAttested